# हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879

**(1879 का अधिनियम संख्यांक 6)**[1]

**[22 मार्च, 1879]**

**वन्य हाथियों के परिरक्षण के लिए अधिनियम**

**उद्देशिका**—यत: वन्य हाथियों के परिरक्षण के लिए उपबन्ध करना समीचीन है, अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

**1. संक्षिप्त नाम**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 है ।

**स्थानीय विस्तार**—इसका विस्तार उन राज्यक्षेत्रों पर है, जिनका प्रशासन इस समय क्रमश: पश्चिमोत्तर प्रान्त के उपराज्यपाल द्वारा और अवध, मध्य प्रान्त, [2]*** और कुर्ग के मुख्य आयुक्तों द्वारा किया जाता है; और [3][राज्य सरकार] [4]*** राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसका विस्तार किसी ऐसे स्थानीय क्षेत्र[5] पर कर सकेगी [6][जो पहली नवम्बर, 1956 से ठीक पूर्व भाग ख राज्य में समाविष्ट नहीं था ।]

**प्रारम्भ**—जहां तक घोषणा करने और नियम बनाने की शक्ति का संबंध है, यह अधिनियम अपने पारित होने पर प्रवृत्त हो जाएगा । अन्य बातों के बारे में यह पहली अप्रैल, 1879 को प्रवृत्त होगा ।

**2.** [**निरसन ।**]—निरसन और संशोधन अधिनियम, 1930 (1930 का 8) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

**3. वन्य हाथियों को मारने और पकड़ने का प्रतिषेध**— कोई व्यक्ति किसी वन्य हाथी को निम्नलिखित दशाओं में ही मारेगा, क्षति पहुंचाएगा और पकड़ेगा या मारने, क्षति पहुंचाने या पकड़ने का प्रयत्न करेगा, अन्यथा नहीं, अर्थात् :—

(क) वह अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिरक्षा करने में,

(ख) ऐसा हाथी आवासों या खेती या बिल्कुल समीप की किसी मुख्य सार्वजनिक सड़क या रेल मार्ग या नहर को क्षति पहुंचाते हुए पाया जाता है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसार ।

[7][**4. कतिपय हाथियों और हाथी दांतों के बारे में सरकार के अधिकार**—ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति नहीं मिली है, पकड़ा गया हर वन्य हाथी और मारे गए हर वन्य हाथी के दांत सरकार की सम्पत्ति होंगे ।

**5. वन्य हाथी को मारने और पकड़ने के लिए अनुज्ञप्ति**—कोई जिला कलेक्टर या उपायुक्त, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो इस अधिनियम के अधीन तत्समय प्रवृत्त हों, उस जिले में वन्य हाथियों को मारने, अथवा पकड़ने के लिए अथवा मारने और पकड़ने के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार की कोई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को किसी भूमि के स्वामी या अधिभोगी की सम्मति के बिना उस भूमि में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी ।

---

[1] यह अधिनियम आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) द्वारा आंगुल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया ।

इसे हाथी परिरक्षण (बंगाल संशोधन) अधिनियम, 1932 (1932 का बंगाल अधिनियम सं० 5) द्वारा बंगाल में लागू होने के संबंध में और हाथी परिरक्षण (संशोधन) विनियम, 1938 (1938 का उड़ीसा विनियम सं० 1) द्वारा जिला सम्बलपुर और गंजम और कोरापुट के एजेंसी ट्रैक्ट में लागू होने के संबंध में और 1959 के असम अधिनियम सं० 14 द्वारा असम में संशोधित किया गया ।

1962 के विनियम सं० 1 द्वारा नेफा क्षेत्र पर यह अधिनियम उपांतरणों सहित विस्तारित किया गया ।

[2] विधि अनुकूलन आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश बर्मा" शब्द निरसित किए गए ।

[3] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य की सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी से" शब्द निरसित किए गए ।

[5] अधिनियम का विस्तार निम्नलिखित स्थानों पर किया गया है, अर्थात् :—

कटक में जिला सुकिदाह, देखिए कलकत्ता गजट, 1882 भाग 1, पृ० 278; जिला मिदनापुन; देखिए बंगाल नियम और आदेश;

कामरूप, दारांग, नौगांव, सिबसागर, लखीमपुर, कछार जिले, नागा हिल्स और खासी तथा जयन्तिया हिल्स, देखिए असम गजट 1880, पृ० 340;

गारो हिल्स (बिजली के जमींदार की सम्पदा के कतिपय भागों को छोड़कर), देखिए असम गजट, 1899, भाग 2, पृ० 431;

गोलपाड़ा जिले में पूर्वी दुआर्स, देखिए असम गजट, 1883, भाग 1, पृ० 2; नागा हिल्स जिले का माकोकेहंद उपखण्ड देखिए असम गजट 1891, भाग 2, पृ० 36 पर मुद्रित अधिसूचना सं० 168-जे;

लुशाई हिल्स, देखिए, भारत का राजपत्र, 1898, भाग 2, पृ० 345, अधिसूचना सं० 923-पी, तारीख 4 अप्रैल, 1898.

[6] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा अंत:स्थापित ।

[7] 1883 के अधिनियम सं० 2 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

**6. राज्य सरकार की यह घोषणा करने की शक्ति कि कौन-कौन सड़कें और नहरें मुख्य हैं, और अनुज्ञप्तियों के बारे में नियम बनाने की शक्ति**—राज्य सरकार समय-समय पर [1]*** यह घोषणा कर सकेगी कि इस अधिनियम के अर्थान्तर्गत किन सड़कों और नहरों को मुख्य सड़कें और नहरें समझा जाएगा, और

इस अधिनियम से संगत नियम निम्नलिखित को विनियमित करने के लिए बना सकेगी :—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का प्रदान किया जाना और नवीकरण;

(ख) ऐसे प्रदान और नवीकरण पर धनराशि के रूप में, हाथी दांत या पकड़े गए हाथियों के रूप में ली जाने वाली फीसें (यदि कोई हों),

(ग) वह समय जिसके दौरान ऐसी अनुज्ञप्तियां प्रवृत्त रहेंगी, और

(घ) वे शर्तें (यदि कोई हों) जिन पर वे प्रदन की जाएंगी ।

ऐसी सब घोषणाएं और नियम स्थानीय राजपत्र मे प्रकाशित किए जाएंगे और तदुपरान्त उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा ।

**7. धारा 3 के उल्लंघन के लिए शास्ति**—जो कोई धारा 3 के उल्लंघन में किसी वन्य हाथी को मारेगा, क्षति पहुंचाएगा या पकड़ेगा या मारने, क्षति पहुंचाने या पकड़ने का प्रत्यन करेगा, वह जुर्माने से, जो हर सम्बद्ध हाथी के लिए पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा,

और जो कोई इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति में अन्तर्विष्ट किसी शर्त को भंग करेगा, वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

जो कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन द्वितीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है, वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।

जब इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन सिद्धदोष किया जाता है, तब ऐसी अनुज्ञप्ति शून्य हो जाएगी और वह सिद्धदोष करने वाले मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दी जाएगी ।

**8. कतिपय अधिकारियों की अध्यपेक्षा पर अनुज्ञप्तियों का पेश किया जाना और दिखाया जाना**—कोई राजस्व या पुलिस अधिकारी या कोई वन अधिकारी जो किसी व्यक्ति को धारा 3 के खण्ड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में के सिवाय किसी वन्य हाथी को मारते हुए या क्षति पहुंचाते हुए या क्षति पहुंचाते हुए या पकड़ते हुए या मारने, क्षति पहुंचाने या पकड़ने का प्रयत्न करते हुए पाता है, उस व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति पेश करने और दिखाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी अपेक्षा पर यथापूर्वोक्त अनुज्ञप्ति पेश करने और दिखाने से जानबूझकर इंकार करता है या वैसा करने में असमर्थ रहता है, किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त, जिसके लिए वह इस अधिनियम के अनुसार दण्डनीय है, जुर्माने से, जो एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

**9. अभियोजन के लिए परिसीमाकाल**—इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अभियोजन, उस अपराध के किए जाने से छह मास के अन्दर प्रारम्भ किया जाएगा जिसके सम्बन्ध में वह अभियोजन संस्थित किया जाता है ।

**10. फीसों की वसूली**—इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन देय फीस की राशि या उसका मूल्य अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे वसूल किया जाएगा मानो यह भू-राजस्व की बकाया हो ।

———

[1] 1920 के अधिनियम सं० 38 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल के नियंत्रण के अधीन" शब्द निरसित किए गए ।